मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया

बनाम

डॉ. एम.जी.आर.शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और अन्य

(2015 की सिविल अपील सं.1757-1759 आदि)

11 फरवरी, 2015

[न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित]

चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना विनियम, 1999––विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956––धारा 3––भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956-धारा 11(2)–– एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश—छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने के लिए अनुमति का नवीनीकरण—शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में संस्थान द्वारा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच के लिए एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों की पूर्ण अवहेलना करते हुए प्रवेश दिए गए— चिकित्सा महाविद्यालय अभी तक संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के दायरे में नहीं है— की वैधता—माना गया: प्रवेश अनधिकृत थे— एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू की आपत्तियों के बावजूद एमएचआरडी ने अब कॉलेज को न केवल शैक्षणिक वर्ष 2008-09 (जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है) के लिए बल्कि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में हुए प्रवेश के लिए भी संस्थान के दायरे में ला दिया है— प्रासंगिक समय में किए गए प्रवेश पूरी तरह से अनधिकृत थे लेकिन अब कुछ बाद की घटनाओं के परिणामस्वरूप, जिन्हें एमएचआरडी ने संज्ञान में लिया है, अनुमोदन और मान्यता प्रदान की गई है— हालाँकि, छात्रों ने अपने प्रवेश रद्द करने के स्वाभाविक परिणामस्वरूप दौरा नहीं किया— स्थिति की आकस्मिकताओं से निपटने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए— एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू के निर्देशों का खुलेआम

उल्लंघन करने और छात्रों की आजीविका को खतरे में डालने के लिए संस्थान पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच में छात्रों को प्रवेश देने के लिए कुछ औचित्य दिया, अर्थात् वह प्रवेश के लिए अनुमोदन की उम्मीद कर रहा था और यह एमसीआई से प्राप्त कुछ संचार द्वारा मजबूत किया गया था। हालाँकि, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में छात्रों को प्रवेश न देने के लिए एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों को देखते हुए यह औचित्य बेहद कमजोर है। संस्थान ने उक्त छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए इस न्यायालय से भी संपर्क किया था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा कोई अनुमति या अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था। इसके बावजूद, संस्थान आगे बढ़ा और प्रवेश दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताता हो कि प्रासंगिक समय पर कॉलेज संस्थान के दायरे में था। वास्तव में यह केवल तभी हुआ जब एमएचआरडी ने 25.09.09 को एक आदेश पारित किया (अपील के तहत फैसले के बाद) कि संस्थान को मान्यता दी गई थी लेकिन केवल 2008-09 और 2009-10 और उसके बाद 2014-15 में शुरू होने वाले एमबीबीएस पाठ्यक्रम के संचालन तक ही सीमित थी। स्पष्ट रूप से, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों का प्रवेश प्रासंगिक समय पर अनधिकृत था। [पैरा 40,41] [597-ईएच; 598-ए-सी]

1.2 जब शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश को बरकरार रखने या प्रवेश के बाद त्वरित उपचारात्मक कदम उठाने की बात आई तो वैधानिक प्राधिकारी-एमसीआई, एमएच एंड एफडब्ल्यू, यूजीसी और एमएचआरडी और सरकार दंतहीन बाघ थे। जब तक वैधानिक प्राधिकारी और सरकार यह महसूस नहीं करते और इसका मूल्यांकन नहीं करते कि अपनी निष्क्रियता से वे उनके निर्देशों की घोर

अवहेलना को बढ़ावा दे रहे हैं और संभवतः ऐसे डॉक्टरों के साथ जो संभवतः पूरी तरह से सक्षम नहीं है समाज को खतरे में डाल रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना एकसपना ही बनी रहेगी। [पैरा 42) (598-डी-एफ)

1.3 यद्यपि एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू ने शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में संस्थान द्वारा किए गए प्रवेशों को मान्यता और अनुमोदन प्रदान किया था, लेकिन संस्थान द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में किए गए छात्र प्रवेशों को कोई मान्यता या अनुमोदन नहीं दिया गया था। हालाँकि, एमएचआरडी ने एक कदम आगे बढ़कर अपने द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और न केवल शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए बल्कि एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू की आपत्तियों के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में प्रवेश के लिए भी कॉलेज को संस्थान के दायरे में ला दिया। जाहिर है सरकार का एक मंत्रालय सरकार के दूसरे मंत्रालय के विचारों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है और समन्वय की इस कमी ने ही शायद संस्थान और कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में प्रवेश देने और वैधानिक अधिकारियों और सरकार के समक्ष एक अपरिवर्तनीय गलती प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप उस शैक्षणिक वर्ष में किए गए प्रवेशों को मंजूरी और मान्यता मिली। समन्वय की इस कमी ने संस्थान और कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में एमबीबीएस के दूसरे बैच में छात्र प्रवेश के संबंध में भी समान लाभ उठाने में सक्षम बनाया। [पैरा 43) [598-एफ-एच; 599-ए-सी]

1.4 कॉलेज के संस्थान के दायरे में आए बिना और शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में अनधिकृत प्रवेश किए जाने पर, एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने की अनुमति के नवीनीकरण के लिए 23/24.03.09 को कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। न केवल निरीक्षण किया गया बल्कि अनुमति को नवीनीकृत करने के लिए एमसीआई द्वारा एमएच एंड एफडब्ल्यू को एक सकारात्मक

सिफारिश की गई। फिर, जब कॉलेज संस्थान के दायरे में नहीं था और शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में शुरू होने वाले दूसरे बैच में छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता था, तो एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत करने के लिए 15.09.09 को कॉलेज को एक पत्र भेजा। यह सच है कि पत्र सामान्य प्रकृति का था, लेकिन जाहिर तौर पर यह बिना दिमाग लगाए भेजा गया था और संस्थान ने इसका फायदा उठाना चाहा। इसके आगे 17.09.09 को एमसीआई ने कॉलेज को पत्र लिखकर शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से छात्रों के तीसरे बैच में प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए निरीक्षण का प्रस्ताव दिया। एमसीआई ने जिस यांत्रिक तरीके से काम किया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। [पैरा 44 और 45] [599-सी-जी]

1.5 जब एमसीआई को पता चला और कॉलेज द्वारा दिनांक 30.09.09 को भेजे गए एक संचार द्वारा 2009-10 में दूसरे बैच में प्रवेशित छात्रों की सूची दी गई, तो वह 4.02.10 तक यानी लगभग चार महीने की अवधि तक चुप रही। एमसीआई कर सकती थी और उसको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी और कुछ सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन उसने अनभिज्ञ छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी, जिसके लिए उन्हें अपनी शिक्षा के कम से कम एक वर्ष के नुकसान के साथ भारी कीमत चुकानी पड़ती। यहां तक कि एमएच एंड एफडब्ल्यू भी 5.04.10 तक यानी लगभग 5 महीने की अवधि तक चुप रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मेडिकल कॉलेज में अनधिकृत प्रवेश को संबंधित वैधानिक अधिकारियों और सरकार द्वारा इतने लापरवाही से लिया जा रहा है। [पैरा 46] [599-एच; 600-ए-सी]

1.6 किए गए प्रवेश प्रासंगिक समय पर पूरी तरह से अनधिकृत थे, लेकिन अब कुछ बाद की घटनाओं के परिणामस्वरूप जिस पर एमएचआरडी द्वारा विचार किया गया है अनुमोदन और मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए, एमसीआई और एमएच एंड

एफडब्ल्यू के साथ-साथ यूजीसी के पास भी इस पर अमल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। [पैरा 49) [601 डी]

1.7 छात्रों ने अध्ययन का पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अब अपनीइंटर्नशिप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अनुसरण में पांच साल बिताने के बाद, छात्रों को यह नहीं बताया जा सकता है कि उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। मामले को सिर्फ इसलिए शांत नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश को एमएचआरडी द्वारा मान्यता और मंजूरी दे दी गई है। यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में प्रवेश पाने वाले छात्रों द्वारा किया गया अध्ययन एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता से मेल खाता है या नहीं। मामले के दिए गए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय को अशांत जल पर एक पुल की भूमिका निभानी आवश्यक है। छात्रों के आजीविका के साथ-साथ उन संभावित रोगियों के हितों को भी बचाने की आवश्यकता है जिनका इलाज संभवतः पूरी तरह से योग्य डॉक्टरों द्वारा नहीं किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्र को एक बार फिर राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा और परीक्षा आयोजित करने का खर्च संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम करेगा और उसके सफल समापन पर, विप्लव शर्मा के मामले में अंतिम निर्णय के अधीन, संस्थान द्वारा एमबीबीएस की डिग्री प्रदान की जाएगी। यदि छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। संस्थान को एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करने और शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच में प्रवेश लेने वाले छात्रों के मामले

में पूरी गड़बड़ी पैदा करने के लिए 5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है तथा उक्त राशि किसी भी छात्र से किसी भी प्रकार से वसूल नहीं की जायेगी। [पैरास बी 49-53] [601-ई-एफ, जी; 602-बी, सी, एफ-जी; 603-ए-एच; 604-ए-बी]

ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1986(2) एससीआर 749:1986 (2) एससीसी 667––संदर्भित किया गया।

निर्णय विधि संदर्भ

1986 (2) एससीआर 749	संदर्भित किया गया	पैरा 47

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील संख्या डी 1757-1759 आदि।

2014 की डब्ल्यूए नंबर 1078-1079 और 2014 की एमपी नंबर 1 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 13.08.2014 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

2015 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 5153

पी. एस. पटवालिया, गौरव शर्मा, अर्चित उपाध्याय, प्रतीक भाटिया अपीलार्थी के लिए।

के. के. वेणुगोपाल, डॉ. राजीव धवन, जी. उमापति, आर. मेखला, राकेश के. शर्मा, रोहित के. शर्मा उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर द्वारा दिया गया था

1. 2014 की एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 32770-32772 में अनुमति प्रदान की गई।

2. हमारे सामने प्रश्न डॉ. एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई (संक्षेप में 'द इंस्टीट्यूट') द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (संक्षेप में 'द कॉलेज') में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच के लिए किए गए दाखिले की वैधता से संबंधित है। हमारी राय में, प्रवेश अनधिकृत थे। हालाँकि, हम छात्रों के प्रवेश को रद्द करने के स्वाभाविक परिणाम पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि स्थिति की अत्यावश्यकताओं से निपटने के लिए निर्देश दे रहे हैं।

प्रारम्भिक

3. कुछ तथ्य विवादित नहीं हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (इसके बाद इसे 'एमएचआरडी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा 21 जनवरी, 2003 को जारी एक अधिसूचना द्वारा संस्थान को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। यह घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 ('यूजीसी अधिनियम') की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थी और अधिनियम[1] के उद्देश्यों के लिए थी। उस समय संस्थान में दो संस्थान शामिल थे: एक डेंटल कॉलेज और अस्पताल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज।

4. संस्थान एसीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रूप में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता था और इसके लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की

---

13. अधिनियम का विश्वविद्यालयों से भिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होना— केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकती है कि विश्वविद्यालय से भिन्न उच्च शिक्षण की कोई संस्था, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय समझी जाएगी, और ऐसी घोषणा किए जाने पर, इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसी संस्थान को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह धारा 2 के खंड (च) के अर्थ में विश्वविद्यालय है।

गई थी। हालाँकि, जब शैक्षणिक वर्ष 2008-09 और शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में प्रवेश किए गए थे तो कॉलेज संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) के दायरे में नहीं था। इसलिए दोनों शैक्षणिक वर्षों में किए गए प्रवेश अनधिकृत थे। हालाँकि, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (संक्षेप में 'एमसीआई') बाद की घटनाओं के कारण शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में किए गए प्रवेशों की वैधता को मुद्दा नहीं बना रही है और इसलिए, हमारे लिए उस मुद्दे पर पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। जांच का सीमित दायरा केवल शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच के छात्रों के लिए हुए प्रवेश के संदर्भ में है।

5. 2008-09 में छात्रों को प्रवेश देने के बाद संस्थान को एमसीआई के मेडिकल कॉलेजों की स्थापना विनियम, 1999 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने के लिए दी गई अनुमति को नवीनीकृत करवाना आवश्यक था। इस संदर्भ में, एमसीआई ने 10 नवंबर, 2008 को कॉलेज को लिखा कि, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए यह 15 मार्च, 2009 से पहले निरीक्षण करने के लिए प्रस्तावित तिथियां भेज सकता है और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकता है।

6. इसके अनुसरण में, 23/24 मार्च, 2009 को एमसीआई द्वारा कॉलेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट एमसीआई की कार्यकारी समिति के समक्ष रखी गई और 8 अप्रैल, 2009 को हुई बैठक में एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में कॉलेज में छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने की अनुमति को नवीनीकृत करने के लिए केंद्र सरकार [स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या एमएच एंड एफडब्ल्यू] को सिफारिश करने का निर्णय लिया।

7. इसके तुरंत बाद 9 अप्रैल, 2009 को एमसीआई को संस्थान से 1 अप्रैल, 2009 का एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में सूचित किया गया कि संस्थान यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत संस्थान के दायरे में कॉलेज को शामिल करने के लिए अनुमोदन

की अधिसूचना प्राप्त होते ही उसे अग्रेषित कर देगा। इससे एमसीआई को संकेत मिला कि कॉलेज अभी संस्थान के दायरे में नहीं है। तदनुसार, 1 मई, 2009 को एमसीआई ने केंद्र सरकार [एमएच एंड एफडब्ल्यू] से अनुरोध किया कि कॉलेज में छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने की अनुमति के नवीनीकरण को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि इसे उपयुक्त अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय के दायरे में नहीं लाया जाता।

8. प्राप्त जानकारी के आलोक में, अनुमति के नवीनीकरण के मुद्दे पर एमसीआई की कार्यकारी समिति ने 9 मई, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया था। कार्यकारी समिति ने 1 मई, 2009 के स्थगन संचार की पुष्टि करने का निर्णय लिया। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए एमबीबीएस छात्रों के दूसरे बैच में प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण की पहले की गई सिफारिश को वापस लेने का भी निर्णय लिया गया। अनुमति के नवीनीकरण की सिफारिश को वापस लेने के अपने निर्णय को दोहराते हुए एमसीआई द्वारा 15 मई, 2009 को एक पत्र द्वारा एमएच एंड एफडब्ल्यू को इसकी सूचना दी गई थी।

9. इसके बाद 24 जून, 2009 को एमसीआई ने एक बार फिर एमएच एंड एफडब्ल्यू को पत्र लिखकर कार्यकारी समिति के उस निर्णय के बारे में सूचित किया, जिसमें यूजीसी द्वारा कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने तक शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए एमबीबीएस छात्रों के दूसरे बैच में प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण की सिफारिश को वापिस ले लिया गया था। यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत संस्थान के दायरे में कॉलेज को शामिल करने के लिए अधिसूचना की एक प्रति जमा करने के अनुरोध के साथ यह पत्र कॉलेज के डीन/प्रिंसिपल को भी भेजा गया था।

10. चूंकि संस्थान यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं था कि कॉलेज उसके दायरे में था, एमसीआई ने 15 जुलाई, 2009 को एमएच एंड एफडब्ल्यू को एक पत्र लिखा और 15 मई, 2009 के अपने पहले के फैसले को दोहराते

हुए शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में एमबीबीएस छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश की अनुमति के नवीनीकरण की सिफारिश को वापस ले लिया, जब तक कि कॉलेज को मानित विश्वविद्यालय के दायरे में नहीं लाया जाता।

11. इससे पहले, 10 अगस्त, 2009 को एमसीआई और संस्थान को एक प्रति के साथ एमएच एंड एफडब्ल्यू ने टीएमटी. कन्नम्मल एजुकेशनल ट्रस्ट (या 'ट्रस्ट' जो संस्थान चलाता है) को लिखा था कि नवीनीकरण की अनुमति की सिफारिश को वापस लेने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि उस शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। कॉलेज से एक विशेष अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उसे शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए छात्रों के किसी भी नए बैच को प्रवेश नहीं देना चाहिए और साथ ही एमसीआई द्वारा की गई टिप्पणियों का पालन करना चाहिए।

12. संस्थान ने 10 अगस्त, 2009 को या उसके आसपास इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जो कि 2009 की WP संख्या 349 थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदाताओं, यानी एमएच एंड एफडब्ल्यू, यूजीसी और एमसीआई को 15 अप्रैल 2009 को एमसीआई द्वारा लिया गए निर्णय के संदर्भ में शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति के नवीनीकरण पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। यह भी प्रार्थना की गई थी कि शैक्षणिक वर्ष 2009-10[2] से छात्रों

---

2. रिट याचिका में जिन राहतों की प्रार्थना की गई थी वे थीं:

(ए) उत्तरदाताओं को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रैल 2009 के निर्णय के अनुसार अनुमति के नवीनीकरण पर तुरंत विचार करने और शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने की अनुमति देने के लिए परमादेश रिट जारी करें।

को प्रवेश देने की अनुमति दी जाए। इस न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए छात्रों को प्रवेश देने के लिए संस्थान को कोई अंतरिम राहत नहीं दी।

13. स्थिति यह थी कि कॉलेज संस्थान के दायरे में नहीं था; शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच के लिए छात्रों को प्रवेश देने के लिए एमसीआई द्वारा संस्थान और कॉलेज को दी गई अनुमति को शुरू में स्थगित रखा गया था और उसके बाद वापस ले लिया गया (कई बार दोहराया गया), और संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए छात्रों के दूसरे बैच के लिए प्रवेश की अनुमति के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर की थी लेकिन इस संबंध में संस्थान को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।

14. इसलिए, संस्थान और कॉलेज दोनों को पूरी तरह से पता था कि वे शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच के लिए छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकते। इन तथ्यों और ऐसा न करने के विशिष्ट निर्देश (10 अगस्त, 2009 को दिए गए) के बावजूद, संस्थान और कॉलेज आगे बढ़े और शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच के लिए छात्रों को प्रवेश दिया।

(बी) उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए एक परमादेश रिट जारी करें कि वे शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 के दौरान प्रवेश पाने वाले छात्रों के पहले बैच को दूसरे वर्ष के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने की अनुमति दें।

(सी) छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण की सिफारिश को वापस लेने के लिए एमसीआई को किसी भी तरह से रोकने के लिए परमादेश रिट जारी करना; और

(डी) ऐसे अन्य आदेश और/या निर्देश पारित करें, जैसा कि माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

2009-10 में किए गए प्रवेशों का औचित्य

15. 2009-10 में प्रवेश करने में संस्थान के सामने मुख्य बाधा एमसीआई द्वारा दी गई किसी भी मंजूरी का अभाव था और कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने वाली किसी भी अधिसूचना के अभाव में कोई मंजूरी संभव नहीं थी।

16. इस न्यायालय में दायर रिट याचिका के अलावा, संस्थान ने कॉलेज को अपने दायरे में लाने के लिए एक उचित अधिसूचना जारी करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए एमएचआरडी को निर्देश देने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में 2009 का डब्ल्यूपी नंबर 13419 भी दायर की थी। इस रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त, 2009 को पारित एक आदेश द्वारा छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश के साथ अनुमति दी थी।

17. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, यूजीसी ने कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने के लिए निरीक्षण हेतु 2 सितंबर, 2009 को एक समिति नियुक्त की। 17. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, यूजीसी ने कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने के लिए निरीक्षण हेतु 2 सितंबर, 2009 को एक समिति नियुक्त की। समिति ने 7/8 सितंबर, 2009 को निरीक्षण किया। यह स्पष्ट नहीं है कि समिति ने रिपोर्ट कब दी, लेकिन 10 सितंबर, 2009 को यूजीसी ने कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 से संस्थान के दायरा के अधीन लाने के लिए एमएचआरडी को पूर्वव्यापी मंजूरी देने की सिफारिश की।

18. कॉलेज को 15 सितम्बर 2009 का एक पत्र भी प्राप्त हुआ (हालाँकि यह पत्र सामान्य प्रकृति का था) एमसीआई से, सभी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके अलावा, 17 सितंबर, 2009 को एमसीआई ने कॉलेज को पत्र लिखकर कुछ दस्तावेजों के लिए

अनुरोध किया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से छात्रों के तीसरे बैच में प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए प्रस्तावित निरीक्षण के बारे में सूचित किया गया।

19. जैसा भी हो, 15 सितंबर, 2009 के पत्र के अनुपालन में कॉलेज ने 30 सितंबर, 2009 को उन छात्रों की एक सूची भेजी, जिन्हें उसने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच में प्रवेश दिया था।

20. संस्थान के विद्वान वकील ने उपरोक्त तथ्यों पर संस्थान के कार्यों को उचित ठहराया और प्रस्तुत किया कि किए गए प्रवेश प्रामाणिक और प्रत्याशित थे। इस संबंध में तीन तथ्य उजागर किये गये: (i) 2009 के डब्ल्यूपी नंबर 13419 को मद्रास उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त, 2009 को अनुमति दी थी और यूजीसी द्वारा 10 सितंबर, 2009 को एमएचआरडी को कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 से संस्थान का दायरे में लाने के लिए पूर्व-प्रभावी मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी; (ii) कॉलेज को 15 सितंबर, 2009 को एक पत्र प्राप्त हुआ था (हालाँकि यह पत्र सामान्य प्रकृति का था) एमसीआई से सभी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत करने के लिए; और (iii) इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 सितंबर, 2009 को एमसीआई ने कॉलेज को पत्र लिखकर कुछ दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया और शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के लिए छात्रों के तीसरे बैच में प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए प्रस्तावित निरीक्षण के बारे में सूचित किया। इन तीन तथ्यों ने संस्थान को यह विश्वास दिलाया कि शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में किए गए प्रवेश अब एमएचआरडी को स्वीकार्य थे और यदि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में प्रवेश किए गए तो एमसीआई को भी कोई वास्तविक आपत्ति नहीं थी। वास्तव में, ऐसी भी संभावना थी कि प्रवेश शैक्षणिक वर्ष 2010-11 में किये जा सकते थे। इन तथ्यों के

संचयी मूल्यांकन पर कॉलेज ने दूसरे बैच में छात्रों को प्रवेश दिया और प्रवेशित छात्रों की सूची 30 सितंबर, 2009 को एमसीआई को भेज दी।

2009-10 में प्रवेशित छात्रों की छुट्टी

21. शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश न देने के लिए एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा ट्रस्ट को (10 अगस्त, 2009 को) दिए गए निर्देशों के अनुसार, एमसीआई ने 4 फरवरी, 2010 को कॉलेज को यह भी लिखा था कि जिन छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया था, उन्हें तुरंत निकाला जा सकता है और अनुपालन प्रस्तुत किया जा सकता है।

22. 1 अप्रैल, 2010 को एमसीआई ने कॉलेज को फिर से पत्र लिखकर शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दाखिला लेने वाले छात्रों को निकालने का अनुरोध दोहराया क्योंकि 4 फरवरी, 2010 के पिछले पत्र के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके तुरंत बाद 5 अप्रैल, 2010 को एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2008-09 और 2009-10 में छात्रों के प्रवेश को नियमित करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने के लिए कोई अधिसूचना नहीं है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से अनुमति के नवीनीकरण पर इसी कारण से विचार नहीं किया जा सकता।

23. दिनांक 4 फरवरी, 2010 के पत्र और दिनांक 5 अप्रैल, 2010 के आदेश के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में प्रवेशित छात्रों को निकालने के लिए कॉलेज द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। तदनुसार, 19 मई, 2010 को एक पत्र (श्रृंखला में तीसरा) द्वारा एमसीआई ने कॉलेज को अपना अनुरोध दोहराते हुए लिखा कि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में प्रवेश लेने वाले छात्रों को निकाला जा सकता है

और दिनांक 4 फरवरी, 2010 के पत्र के अनुसरण में कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाना

24. संस्थान ने कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने के अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप अंततः यूजीसी ने 25 सितंबर, 2009 को शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में कॉलेज में संस्थान द्वारा किए गए प्रवेशों को पूर्वव्यापी मंजूरी देने का निर्णय लिया। हालाँकि, एमसीआई का यह मानना रहा कि 2008-09 के छात्रों के प्रवेश को नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि एमएचआरडी द्वारा कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। यह एमसीआई द्वारा 18 मार्च, 2010 को एमएच एंड एफडब्ल्यू को सूचित किया गया था।

25. जाहिर तौर पर विचारों के इस टकराव को देखते हुए, संस्थान ने मद्रास उच्च न्यायालय में 2010 की डब्ल्यू पी नंबर 13044 दायर की और 14 जुलाई, 2010 को उच्च न्यायालय ने इस आशय का एक आदेश पारित किया कि यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना संस्थान के पक्ष में जारी की जा सकती है, जो विप्लव शर्मा द्वारा दायर 2006 की डब्ल्यूपी नंबर 142 की इस अदालत में लंबित जनहित याचिका में निर्णय के अधीन रहेगी। इस आदेश के आधार पर, संस्थान ने उचित आदेश के लिए 20 जुलाई, 2010 को एमएचआरडी को एक अभ्यावेदन दिया।

26. चूंकि एमएचआरडी ने संस्थान द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर आदेश पारित नहीं किया, फिर भी संस्थान द्वारा 2010 की डब्ल्यूपी संख्या 18682 नामक एक और रिट याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। इस रिट याचिका पर 18 अगस्त, 2010 को निर्णय लिया गया और एमएचआरडी को एक सप्ताह के भीतर

यूजीसी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 14 जुलाई, 2010 के पिछले आदेश के संदर्भ में उचित आदेश पारित करने का निर्देश जारी किया गया।

27. 2010 के डब्ल्यूपी नंबर 18682 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति पर, एमएचआरडी द्वारा 31 अगस्त, 2010 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने के लिए 30 सितंबर, 2009 को की गई यूजीसी की सिफारिशों को खारिज कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में यूजीसी द्वारा (25 सितंबर, 2009 को) कॉलेज को दी गई पूर्वव्यापी मंजूरी खारिज कर दी गई।

28. एमएचआरडी द्वारा पारित 31 अगस्त, 2010 के आदेश को संस्थान द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.पी. संख्या 20995 दायर करके चुनौती दी गई थी।

29. जाहिरा तौर पर चूंकि रिट याचिका का निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जा रहा था, इसलिए संस्थान द्वारा 2011 के टीपी (सी) संख्या 512 के तहत 2010 के डब्ल्यूपी संख्या 20995 के निपटान हेतु इस न्यायालय में हस्तांतरण के लिए इस न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने 24 फरवरी, 2012 को एक आदेश पारित कर मद्रास उच्च न्यायालय से विप्लव शर्मा[3] के मामले में निर्णय की प्रतीक्षा

---

3. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में लिखा है: "याचिकाकर्ता - संस्थान ने एसीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को डीम्ड यूनिवर्सिटी के दायरे में लाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 20995/2010) दायर की है। जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह स्थानांतरण याचिका याचिकाकर्ता - संस्थान द्वारा संविधान के अनुच्छेद 139ए के तहत रिट याचिका संख्या 20995/2010 को मद्रास उच्च न्यायालय से इस न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए इस

किए बिना लंबित रिट याचिका को तीन महीने के भीतर निपटाने का अनुरोध किया। अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 9 नवंबर, 2012 को लंबित रिट याचिका का निपटारा कर दिया और एमएचआरडी द्वारा पारित 31 अगस्त, 2010 के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसा करते समय, एमएचआरडी को 2008-09 से कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने के लिए यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया था। एमएचआरडी को संस्थान और कॉलेज द्वारा 2009-10 में किए गए प्रवेशों को नियमित करने पर विचार करने और शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के लिए प्रवेश की अनुमति के नवीनीकरण पर विचार करने का भी निर्देश दिया गया था।

30. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, एमसीआई और एमएचआरडी ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील संख्या 2772/2012 और 256/2013 के रूप में रिट अपील दायर

न्यायालय द्वारा WP {C) संख्या 142/2006 के साथ निर्णय लेने के लिए दायर की गई है: विप्लव शर्मा बनाम. भारत संघ एवं अन्य (डीम्ड यूनिवर्सिटी मामला)। हमने पक्षों के ज्ञानी वकीलों को सुना है। हम रिट याचिका को स्थानांतरित करने के इच्छुक नहीं हैं, हालांकि, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हम मद्रास उच्च न्यायालय से 2010 की रिट याचिका संख्या 20995 का विप्लव शर्मा के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना, इस आदेश के संचार की तारीख से यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन महीने के भीतर निपटारा करने का अनुरोध करते हैं।

पक्ष आज से छह सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलें पूरी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ स्थानांतरण याचिका का निपटारा किया जाता है।

की। 15 अप्रैल, 2013 को अपने फैसले और आदेश द्वारा खंड पीठ ने यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया और पूरे मामले को एमएचआरडी द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज दिया।

31. खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, एमएचआरडी ने 8 मई, 2013 को संस्थान को सुनवाई दी और 23 मई, 2013 को एक आदेश पारित किया कि कॉलेज दो शैक्षणिक वर्षों अर्थात 2008-09 और 2009-10 के लिए संस्थान के दायरे में एक घटक इकाई थी, जो कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन और विप्लव शर्मा के मामले में निर्णय के भी अधीन थी।

32. 24 मई, 2013 को संस्थान ने एमएचआरडी द्वारा 23 मई, 2013 को पारित आदेश के संबंध में एमएच एंड एफडब्ल्यू को एक अभ्यावेदन भेजा। यह अभ्यावेदन एमसीआई को भेजा गया जिसने 2008-09 में हुए प्रवेशों की मान्यता के लिए कॉलेज का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। मूल्यांकन 7/8 अगस्त, 2013 को किया गया था और परिणामी रिपोर्ट पर एमसीआई की अंडर ग्रेजुएट कमेटी और उसके बाद एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विचार किया गया था। 2 सितंबर, 2013 को लिए गए एक निर्णय से एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में किए गए प्रवेशों को मान्यता देने का निर्णय लिया, लेकिन पहले के निर्णयों को दोहराया कि वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में प्रवेश लेने वाले छात्रों को निकाल दिया जाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने संस्थान और ट्रस्ट को पांच साल[4] की अवधि के लिए काली सूची में डालने का भी निर्णय लिया।

---

4. काली सूची में डालने का आदेश अब रद्द कर दिया गया है और यह हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है।

33. 7/8 अगस्त, 2013 की मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति एमसीआई द्वारा 12 सितंबर, 2013 को एमएच एंड एफडब्ल्यू को भेजी गई थी और उसी दिन एमसीआई ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव की तर्ज पर एक विस्तृत आदेश पारित किया। एमसीआई को और कॉलेज को इसकी सूचना दी।

34. एमसीआई द्वारा पारित आदेश पर कार्रवाई करते हुए, एमएच एंड एफडब्ल्यू ने 1 अक्टूबर, 2013 को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के तहत शैक्षणिक वर्ष 2008-09[5] में प्रवेशित छात्रों के लिए एमबीबीएस डिग्री को मान्यता देते हुए एक अधिसूचना जारी की। संस्थान को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची में भी शामिल किया गया था।

---

511. भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा दी गई चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता —(1) भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान द्वारा दी गई चिकित्सा योग्यताएं जो पहली अनुसूची में शामिल हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएं होंगी।

(2) भारत में कोई भी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान जो पहली अनुसूची में शामिल नहीं होने वाली चिकित्सा योग्यता प्रदान करता है, ऐसी योग्यता को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है और केंद्र सरकार परिषद से परामर्श के बाद आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि उसमें ऐसी योग्यता को शामिल किया जा सके, और ऐसी कोई भी अधिसूचना यह भी निर्देश दे सकती है कि ऐसी चिकित्सा योग्यता हेतु पहली अनुसूची के अंतिम कॉलम में एक प्रविष्टि की जाएगी, जिसमें यह घोषणा की जाएगी एक निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान किए जाने पर ही यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होगी।

35. हालाँकि, संस्थान एमसीआई द्वारा पारित 12 सितंबर, 2013 के आदेश से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और इसलिए उसने उस आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में 2014 की डब्ल्यू पी संख्या 1959 और 1964 दायर की। 14 जुलाई, 2014 को दिए गए एक निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2008-09 बैच के छात्रों के प्रवेश की मान्यता में हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन एमसीआई द्वारा 2009-10 बैच के छात्रों को निकाल देने के आदेश को रद्द कर दिया गया। एमसीआई को संस्थान को सुनवाई देने के बाद 23 मई, 2013 को एमएचआरडी द्वारा पारित आदेश के आलोक में उन छात्रों के मामले पर विचार करने का भी निर्देश दिया गया था।

36. दिनांक 14 जुलाई, 2014 के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए एमसीआई ने खंड पीठ के समक्ष एक अपील दायर की और 13 अगस्त, 2014 के आदेश द्वारा इसका निपटारा हमारे समक्ष किया गया। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया और शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए प्रवेशित छात्रों के संबंध में रिमांड की पुष्टि की। 13 अगस्त, 2014 के आदेश में 19 अगस्त, 2014 को एक मामूली स्पष्टीकरण दिया गया कि एमसीआई विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना (रिमांड पर) आदेश पारित कर सकता है। इन परिस्थितियों में एमसीआई शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में कॉलेज में छात्रों के प्रवेश को चुनौती नहीं देती है, लेकिन 2009-10 में हुए प्रवेश पर सवाल उठाती है।

बाद की घटनाएं

37. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/19 अगस्त, 2014 को पारित आदेश के बाद, एमएचआरडी ने कॉलेज को संस्थान के दायरे में लाने के मुद्दे की फिर से जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और और उस विशेषज्ञ समिति ने 22 सितंबर, 2014 को एक सिफारिश दी थी कि केवल दो वर्षों यानी 2008-

09 और 2009-10 के लिए एक दायरे का आदेश देने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि दायरे का आदेश "संपूर्णता के लिए होना चाहिए था।

38. विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए एमएचआरडी ने 25 सितंबर, 2014 को एक आदेश पारित किया कि विप्लव शर्मा के मामले में निर्णय के अधीन, 2014-15 बैच से शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से कॉलेज संस्थान के दायरे में एक घटक इकाई है।

39. ये तथ्य संकेत देंगे कि संस्थान और कॉलेज द्वारा 2008-09 में किए गए प्रवेश कोई मुद्दा नहीं हैं और यह वास्तव में एमसीआई के लिए उपस्थित हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दोहराया गया था। एकमात्र मुद्दा एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद 2009-10 में संस्थान और कॉलेज द्वारा किए गए प्रवेशों की वैधता और उन प्रवेशों को अनधिकृत होने की संभावना के परिणाम के संबंध में है।

चर्चा एवं निष्कर्ष

40. तथ्यों के वर्णन से इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्थान और कॉलेज ने एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा दिए गए निर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच में छात्रों को प्रवेश दिया। यह सच है कि संस्थान ने ऐसा करने के लिए कुछ औचित्य दिया था, अर्थात् वह प्रवेश के लिए अनुमोदन की उम्मीद कर रहा था और यह एमसीआई से प्राप्त कुछ संचारों द्वारा मजबूत किया गया था। हालाँकि, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में छात्रों को प्रवेश न देने के लिए एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों को देखते हुए यह औचित्य बेहद कमजोर है। संस्थान ने 2009-10 में दूसरे बैच में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए इस न्यायालय से भी संपर्क

किया था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा कोई अनुमति या अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था। इसके बावजूद, संस्थान आगे बढ़ा और प्रवेश दिए।

41. मामले को बदतर बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताता हो कि प्रासंगिक समय पर कॉलेज संस्थान के दायरे में था। वास्तव में यह तभी हुआ जब एमएचआरडी ने 25 सितंबर, 2014 को एक आदेश पारित किया (अपील के तहत फैसले के बाद) कि संस्थान को मान्यता दी गई थी लेकिन केवल 2008-09 और 2009-10 और उसके बाद 2014-15 में शुरू होने वाले एमबीबीएस पाठ्यक्रम के संचालन तक ही सीमित थी। स्पष्ट रूप से, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों का प्रवेश प्रासंगिक समय पर अनधिकृत था।

42. यह थोड़ा परेशान करने वाला है कि एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश के संबंध में संस्थान और कॉलेज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में कई वर्षों तक पूरी तरह से असहाय थे। यूजीसी और एमएचआरडी भी मूक दर्शक बने रहे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश को बरकरार रखने या प्रवेश के बाद त्वरित उपचारात्मक कदम उठाने की बात आई तो वैधानिक प्राधिकारी और सरकार दंतहीन बाघ थे। जब तक वैधानिक प्राधिकारी और सरकार यह महसूस नहीं करते और इसकी सराहना नहीं करते कि अपनी निष्क्रियता से वे उनके निर्देशों की घोर अवहेलना को बढ़ावा दे रहे हैं और संभवतः पूरी तरह से सक्षम डॉक्टरों के अभाव में समाज को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, हमारे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना एक सपना बनकर रह जाएगी।

43. यह बताना भी आवश्यक है कि यद्यपि एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू ने शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में संस्थान द्वारा किए गए प्रवेशों को मान्यता और अनुमोदन प्रदान किया था, लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में संस्थान द्वारा छात्रों के दूसरे बैच में किए गए प्रवेशों को कोई मान्यता या अनुमोदन नहीं दिया गया था।

हालाँकि, एमएचआरडी ने एक कदम आगे बढ़कर अपने द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और 2009-10 से कॉलेज को संस्थान के दायरे में ला दिया। स्पष्ट रूप से सरकार का एक मंत्रालय सरकार के दूसरे मंत्रालय के विचारों से पूरी तरह अनभिज्ञ है और समन्वय की इस कमी ने ही शायद संस्थान और कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में प्रवेश देने और वैधानिक अधिकारियों और सरकार के समक्ष एक गलती प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप उस शैक्षणिक वर्ष में किए गए प्रवेशों को मंजूरी और मान्यता मिली। यह समन्वय की कमी ही है जिसने शायद संस्थान और कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में एमबीबीएस छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश के संबंध में समान लाभ लेने में सक्षम बनाया।

44. हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि कॉलेज को संस्थान के दायरे में आए बिना और शैक्षणिक वर्ष 2008-09 में अनधिकृत प्रवेश किए जाने पर, एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने की अनुमति के नवीनीकरण के लिए 23/24 मार्च 2009 को कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। न केवल निरीक्षण किया गया बल्कि अनुमति को नवीनीकृत करने के लिए एमसीआई द्वारा एमएच एंड एफडब्ल्यू को एक सकारात्मक सिफारिश की गई।

45. फिर, जब कॉलेज संस्थान के दायरे में नहीं था और शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले दूसरे बैच में छात्रों को प्रवेश नहीं दे सका, तो एमसीआई ने शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत करने के लिए 15 सितंबर, 2009 को कॉलेज को एक पत्र भेजा। यह सच है कि पत्र सामान्य प्रकृति का था, लेकिन जाहिर तौर पर यह बिना किसी दिमाग के आवेदन के भेजा गया था और संस्थान ने हमारे सामने प्रस्तुत प्रस्तुतियों में इसका लाभ उठाने की कोशिश की। इससे भी बुरी बात यह है कि 17 सितंबर, 2009 को एमसीआई ने कॉलेज को पत्र लिखकर शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से छात्रों के तीसरे बैच में प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण

के लिए निरीक्षण का प्रस्ताव दिया था। एमसीआई ने जिस यांत्रिक तरीके से काम किया है वह कम से कम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

46. जब एमसीआई को पता चला और कॉलेज द्वारा 30 सितंबर, 2009 को भेजे गए एक संचार द्वारा 2009-10 में दूसरे बैच में प्रवेशित छात्रों की सूची दी गई, तो वह 4 फरवरी, 2010 तक, यानि लगभग चार महीने की अवधि तक चुप रही। एमसीआई को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी और कुछ सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन इसने अनभिज्ञ छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी, जिसके लिए उन्हें अपनी शिक्षा के कम से कम एक वर्ष के नुकसान के साथ भारी कीमत चुकानी पड़ती। यहां तक कि एमएच एण्ड एफडब्ल्यू भी 5 अप्रैल, 2010 तक यानी लगभग 5 महीने की अवधि तक चुप रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मेडिकल कॉलेज में अनधिकृत प्रवेश को संबंधित वैधानिक अधिकारियों और सरकार द्वारा इतने लापरवाही से लिया जा रहा है।

47. 12 सितंबर, 2013 के अपने आदेश में एमसीआई ने एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश[6] राज्य का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए विनियम के विपरीत कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आदेश में यह कहा गया कि एमसीआई में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश को नियमित नहीं कर सकते है।

48. संदर्भित निर्णय में, प्रस्तुत प्रस्तुतियों में से एक यह थी कि उस संस्थान के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों के हितों को "प्रबंधन के आचरण या मूर्खता के कारण बलिदान नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा में

---

6. 1986 (2) एससीसी 667

उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए" इस परिस्थिति के बावजूद कि संस्थान को अनुमति और संबद्धता प्रदान नहीं की गई थी। यह देखा गया कि संबंधित छात्रों ने संस्थान में प्रवेश पाने के लिए न केवल अपने पैसे खो दिए, बल्कि अपने कीमती समय में से एक या दो साल भी खो दिए, जिससे उनका भविष्य की आजीविका लगभग खतरे में पड़ गई। इसलिए, इस न्यायालय ने इसे राज्य सरकार पर खुला छोड़ दिया कि वह छात्रों को कम से कम आर्थिक रूप से मुआवजा देने के लिए विधायी और प्रशासनिक रूप से उपयुक्त तरीके अपनाए।

49. जहां तक वर्तमान अपीलों का सवाल है, तथ्य स्थिति कुछ अलग है क्योंकि एमएचआरडी ने अब कॉलेज को न केवल शैक्षणिक वर्ष 2008-09 (जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है) के लिए बल्कि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में हुए प्रवेश के लिए भी संस्थान के दायरे में ला दिया है। यह एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू की आपत्तियों के बावजूद है। ऐसी स्थिति में, ऐसा नहीं है कि 2009-10 में संस्थान और कॉलेज द्वारा किए गए प्रवेश पूरी तरह से अनधिकृत हैं। प्रासंगिक समय में किए गए प्रवेश पूरी तरह से अनधिकृत थे, लेकिन अब कुछ बाद की घटनाओं के परिणामस्वरूप अनुमोदन और मान्यता प्रदान की गई है, जिस पर एमएचआरडी ने विचार किया है। इसलिए एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू के साथ-साथ यूजीसी के पास इस संबंध में सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

50. हम संदर्भित मामले और वर्तमान अपीलों के बीच भी पर्याप्त अंतर पाते हैं क्योंकि एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी में छात्रों ने एक या दो साल का अध्ययन किया था। हालाँकि, वर्तमान अपीलों में उन्होंने अध्ययन का पूरा कोर्स पूरा कर लिया है और अब अपनी इंटर्नशिप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में पांच साल बिताने के बाद, अब छात्रों को यह बताना कि उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया है, शायद ही न्यायसंगत और उचित दृष्टिकोण

होगा। वर्तमान मामले में छात्र संस्थान और कॉलेज द्वारा खेले गए एक बड़े खेल में महज मोहरे प्रतीत होते हैं जिसमें एमसीआई, एमएच एंड एफडब्ल्यू, यूजीसी और एमएचआरडी ने दर्शकों के रूप में भाग लिया है। हम इस मामले को केवल इसलिए शांत नहीं रहने दे सकते क्योंकि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में छात्रों के दूसरे बैच के प्रवेश को एमएचआरडी द्वारा मान्यता और मंजूरी दे दी गई है।

51. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने पार्टियों के विद्वान वकील से अनुरोध किया कि वे हमें परिणामी आदेशों पर संबोधित करें जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किए जा सकते हैं कि यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में दूसरे बैच में प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा किया गया अध्ययन एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता से मेल खाता है या नहीं।

52. पार्टियों के विद्वान वकील (एमसीआई के अलावा) ने छात्रों के करियर को बचाने के लिए कुछ विकल्प सुझाए[7]। हमने परिणामी सुनवाई में दिए गए विभिन्न सुझावों को सुना और उन पर ध्यान दिया और हमारा विचार है कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय को अशांत जल पर एक पुल की भूमिका निभानी आवश्यक है। छात्रों के करियर को निश्चित रूप से बचाने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही उन संभावित रोगियों के हितों पर भी विचार करना होगा जिनका इलाज संभवतः पूरी तरह से योग्य डॉक्टर द्वारा नहीं किया जाएगा। हमारे समाज के लिए उन डॉक्टरों द्वारा इलाज करना बहुत खतरनाक है जो चिकित्सा सहायता और सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य या सुसज्जित नहीं हो। इन परिस्थितियों में आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन को गंभीर जोखिम में नहीं डाला जा सकता है।

---

7 .श्री के.के. वेणुगोपाल, छात्रों के लिए वरिष्ठ वकील और श्री राजीव धवन, संस्थान के लिए वरिष्ठ वकील।

53. इसलिए, चूंकि इस मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों से बहस और चर्चा हुई है, और प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए, हमारी राय है कि:

(1) शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में संस्थान द्वारा प्रवेशित एक छात्र को एक बार फिर से अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा– इस बार तमिलनाडु राज्य के बाहर स्थित एक राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, अधिमानतः राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरु के तत्वावधान में। परीक्षा आज से तीन महीने के अंदर होनी चाहिए। संस्थान उक्त परीक्षा आयोजित करने का खर्च वहन करेगा।

(2) संस्थान/राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय/राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को परीक्षा की प्रस्तावित तारीख के बारे में सूचित करेगा और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी परीक्षा के संचालन की निगरानी के लिए परीक्षकों की नियुक्ति करेगा। संस्थान उक्त परीक्षा आयोजित करने का खर्च वहन करेगा।

(3) यदि कोई छात्र उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो उसे अपना इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है और उसके सफल समापन पर, विप्लव शर्मा के मामले में अंतिम निर्णय के अधीन, संस्थान द्वारा एमबीबीएस की डिग्री प्रदान की जाएगी। यदि कोई छात्र उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसे तमिलनाडु राज्य के बाहर स्थित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (लेकिन डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं) के तत्वावधान में आयोजित समान परीक्षा में छह महीने के अंतराल के बाद उत्तीर्ण होने का एक और मौका दिया जा सकता है। संस्थान उक्त परीक्षा आयोजित करने का खर्च वहन करेगा।

(4) एमएचआरडी और एमएच एंड एफडब्ल्यू को अपना घर व्यवस्थित करना चाहिए और एक दूसरे के साथ-साथ एमसीआई और यूजीसी के साथ बेहतर और अधिक प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए।

(5) एमसीआई, एमएच एंड एफडब्ल्यू, यूजीसी और एमएचआरडी को आज से दो महीने की अवधि के भीतर कॉलेज में सुविधाओं का संयुक्त निरीक्षण करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके और निर्धारित किया जा सके कि कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं और क्या यह कानून और विनियमों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है।

(6) एमसीआई और एमएच एंड एफडब्ल्यू के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करने और जहां तक शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच में प्रवेश लेने वाले छात्रों का सवाल है पूरी गड़बड़ी पैदा करने के लिए संस्थान पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। संस्थान द्वारा यह राशि आज से चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा की जाएगी। लागत के लिए जमा की गई 5 करोड़ रुपये की राशि किसी भी छात्र से किसी भी तरह से वसूल नहीं की जाएगी या बाद के बैचों के छात्रों के लिए फीस या सुविधाओं के प्रावधान के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाएगी।

54. हम तदनुसार निर्देश देते हैं और इन निर्देशों के साथ अपीलों का निपटान करते हैं। इस निर्णय और आदेश की एक प्रति सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जाए।

55. छह सप्ताह के बाद अनुपालन हेतु सूचीबद्ध किया जाए।

<u>अपील के लिए विशेष आवेदन पत्र (सी) संख्या 5153/15 @ सीसी संख्या 837/2015)</u>

56. विलम्ब क्षमा किया गया। एसएलपी का निपटान 2014 की एसएलपी (सी) संख्या 32770-32772 से उत्पन्न सिविल अपीलों में निर्णय के अनुसार किया जाता है। अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****